भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1228

(दिनांक 11.02.2021 को उत्तर के लिए)

सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से चयनित उम्मीदवार

1228. श्री नीरज डांगी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 4 जनवरी, 2021 को घोषित किए गए परिणामों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2019 में क्रमशः 13 और 06 पदों पर कुल 89 आवेदकों में से अनुसूचित जाति श्रेणी से केवल 01 उम्मीदवार का चयन किया गया था तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी से किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

सिविल सेवा परीक्षा-2019 का परिणाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 04.08.2020 को घोषित किया गया था, जिसके द्वारा प्रथमतः 829 उम्मीदवारों (129 अनुसूचित जाति और 67 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित) की अनुशंसा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, प्रथमतः अनुशंसित उम्मीदवारों को सेवाओं के आबंटन के पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचन के अनुसार आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा नियमावली-2019 की समेकित आरक्षित सूची में से 89 और उम्मीदवारों (01 अनुसूचित जाति और 00 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित) को सिविल सेवा परीक्षा नियमावली-2019 के संगत प्रावधानों के अनुसार दिनांक 04.01.2021 को अनुशंसित किया गया था।

*****